भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, कोर-4ए, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
सीआईएन: L65100DL1987GOI027265, वेबसाइट: www.ireda.in, ईमेल: equityinvestor2023@ireda.in,
दूरभाष : +91-11-24682206-19, फैक्स संख्या : +91-11-24682202

सूचना

इसके द्वारा **सूचित** किया जाता है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **मंगलवार, 29 सितम्बर, 2026 को दोपहर 12:30 बजे (भा.मा.स.)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

1. **31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों के साथ ही निदेशक मंडल, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।**

   इस पर विचार करने और अगर सही लगे, तो नीचे दिए गए प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव** के तौर पर पारित करने के लिए :

   "संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरणों, साथ ही निदेशक मंडल और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ, जो सदस्यों को भेजी गई थीं, उन्हें यहाँ स्वीकार किया जाता है, उन पर विचार किया जाता है और उन्हें अपनाया जाता है।"

2. **वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घोषित और भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम लाभांश घोषित करना।**

   इस पर विचार करने और अगर सही लगे, तो नीचे दिए गए प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव** के तौर पर पारित करने के लिए:

   "संकल्प लिया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घोषित और भुगतान किये गए 6% की दर से (₹0.60 प्रति ₹10 वाले इक्विटी शेयर) अंतरिम लाभांश की यहाँ पुष्टि की जाती है; और निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के लाभ में से 7.50% की दर से (₹0.75 प्रति ₹10 वाले इक्विटी शेयर) अंतिम लाभांश यहाँ घोषित किया जाता है।"

3. **श्री पदम लाल नेगी (डीआईएन : 10041387), निदेशक (सरकार नामित) की जगह एक निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और योग्य होने के कारण, स्वयं को फिर से नियुक्ति के लिए पेश कर रहे हैं।**

   इस पर विचार करने और अगर सही लगे, तो नीचे दिए गए प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव** के तौर पर पारित करने के लिए :

   "संकल्प लिया गया कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, श्री पदम लाल नेगी (डीआईएन : 10041387), जो इस बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और योग्य होने के कारण स्वयं को फिर से नियुक्ति के लिए पेश कर रहे हैं, उन्हें एतदद्वारा कंपनी के निदेशक के तौर पर फिर से नियुक्त किया जाता है।"

4. **वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।**

   इस पर विचार करने और अगर सही लगे, तो नीचे दिए गए प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव** के तौर पर पारित करने के लिए :

   "संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5), 142 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।"

विशेष व्यवसाय :

5. **श्री जव्वदी वेंकटा नागा सुब्रमण्यम (डीआईएन : 07935156) को कंपनी का निदेशक (सरकार नामित) नियुक्त करना।**

   इस पर विचार करने और अगर सही लगे, तो नीचे दिए गए प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव** के तौर पर पारित करने के लिए :

   "संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 161 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों और उनके तहत बने नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) और अन्य लागू कानूनों (जिसमें उस समय लागू कोई भी कानूनी संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है), कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के आर्टिकल 74 के अनुसार, श्री जव्वदी वेंकटा नागा सुब्रमण्यम (डीआईएन : 07935156), संयुक्त सचिव, एमएनआरई, को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की आदेश संख्या 340/85/2017-इरेडा दिनांक 23 जुलाई, 2026 के मार्फ़त 03 (तीन) कार्यात्मक निदेशक के पद भरे जाने तक

या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (सरकार नामित) के रूप में नियुक्त किया गया था, और जिन्हें बाद में निदेशक मंडल द्वारा 24 जुलाई, 2026 से अपर निदेशक (सरकार नामित) के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें अब एतदद्वारा कंपनी का निदेशक (सरकार नामित) नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे, और उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी।"

संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल को ऊपर दिए गए प्रस्ताव को लागू करने के लिए ज़रूरी, उचित या फ़ायदेमंद सभी काम और गतिविधियाँ करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

6. श्री मनोनीत दलाल (डीआईएन : 10059661) को कंपनी का गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त करना।

इस पर विचार करने और अगर सही लगे, तो नीचे दिए गए प्रस्ताव को **विशेष प्रस्ताव** के तौर पर पारित करने के लिए :

"**संकल्प लिया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 161 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1सी), 25(2ए) और अन्य लागू प्रावधानों (जिसमें उस समय लागू कोई भी कानूनी बदलाव या दोबारा लागू किए गए नियम शामिल हैं); कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के आर्टिकल 74 और 74ए तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा-पार्ट (1) तारीख 18 अगस्त, 2026 के तहत, श्री मनोनित दलाल (डीआईएन: 10059661) को निदेशक मंडल ने 18 अगस्त, 2026 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कंपनी का अपर गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया था। अब उन्हें एतदद्वारा 18 अगस्त, 2026 से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो), कंपनी का गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नियुक्त किया जाता है। वे रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होंगे और उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई शर्तों (कार्यकाल सहित) के आधार पर होगी।

संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल को ऐसे सभी काम, गतिविधियाँ और कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें ऊपर दिए गए प्रस्ताव को लागू करने के लिए ज़रूरी, उचित या सुविधाजनक माना जाए।

7. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागत लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक को मंज़ूरी देना।

इस पर विचार करने और अगर सही लगे, तो नीचे दिए गए प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव** के तौर पर पारित करने के लिए :

"**संकल्प लिया गया** कि कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के लागत लेखा-परीक्षक, मैसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या : 000022) को देय ₹62,000 (केवल बासठ हज़ार रुपये) के पारिश्रमिक (जिसमें कर शामिल हैं) की, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल ने मंज़ूरी दी है, एतदद्वारा पुष्टि की जाती है और मंज़ूर किया जाता है"।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02 सितम्बर, 2026

हस्ता. /-
(एकता मदान)
कंपनी सचिव

नोट:-

1. वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसार एक व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।
2. इस एजीएम में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक के संबंध में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के विनियम 36(3) और सचिवीय मानक के अनुसार प्रासंगिक विवरण भी संलग्न है।
3. अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार, सरकारी कंपनी के वैधानिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा की जाती है और अधिनियम की धारा 142 के अनुसार, पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाएगा। सदस्य वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सी एंड एजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वैधानिक लेखा-परीक्षकों का उचित पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अधिकृत कर सकते हैं, जैसा कि बोर्ड द्वारा उचित समझा जाए।
4. निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 मई, 2020, 5 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022, 25 सितम्बर, 2023, 19 सितंबर, 2024 के परिपत्रों के साथ पठित 22 सितंबर, 2025 के एमसीए परिपत्र ("एमसीए परिपत्र") और 3 अक्टूबर, 2024 के सेबी परिपत्र और अन्य लागू अधिसूचना के मद्देनजर, कंपनी की 39वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसमें सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। 39वीं एजीएम के लिए माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एमसीए और सेबी परिपत्र के अनुसार, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति और प्रॉक्सी की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म और रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं। चूंकि बैठक वीसी/ओवीएएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, इसलिए सदस्य की ओर से उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति उपलब्ध नहीं है। हालांकि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 39वीं एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए सदस्य के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जा सकता है।

6. एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट के साथ 39वीं एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को ई-मेल से भेजी जा रही है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी /डिपॉजिटरी के साथ **28 अगस्त, 2026** के अनुसार पंजीकृत थीं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सूचना और वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक वेबलिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन शेयरधारकों को भेजा जा रहा है जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है। सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/IredaWebPortal/investors/annual-reports पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)की वेबसाइट www.nseindia.com पर और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाइट www.bseindia.com पर और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ("आरटीए") की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।

7. वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 39वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

8. एजीएम में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में दिखाई देता है, वह एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा।

9. संस्थागत/निगमित शेयरधारकों (अर्थात, व्यक्तियों/हिंदू अविभाजित परिवार, अनिवासी व्यक्तियों आदि के अतिरिक्त) को अपने बोर्ड या शासी निकाय के संकल्प/प्राधिकरण आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) भेजनी होगी, ताकि उनके पक्ष में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए उनके प्रतिनिधि को अधिकृत किया जा सके। उक्त संकल्प/प्राधिकरण कंपनी के आरटीए को insta.vote@linkintime.co.in पर ईमेल द्वारा भेजना होगा।

10. कंपनी ने सूचना में विस्तृत रूप से 39वीं एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के मद(दों) पर वोट देने की पात्रता निर्धारित करने के लिए **मंगलवार, 22 सितम्बर, 2026** को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। कोई भी व्यक्ति जो सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, तो वह enotices@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। कोई भी शेयरधारक जो अपनी शेयरधारिता का निपटान इस तरह करता है कि वह कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, तो उसे इस सूचना को सिर्फ़ जानकारी के उद्देश्य से लेना चाहिए।

11. मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव (श्री पी.सी. जैन, प्रबंध साझेदार, एफसीएस - 4103, सीओपी संख्या 3349), कंपनी के सचिवीय लेखा-परीक्षक को 39वीं एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के मदों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

12. सूचना में ऊपर उल्लिखित एमसीए और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानक के अनुपालन में, कंपनी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। वे शेयरधारक जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

13. एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ("एमयूएफजी") रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 39वीं एजीएम में भागीदारी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से 39वीं एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, **26 सितम्बर, 2026 को सुबह 09:00 बजे** से शुरू होगी और **सोमवार, 28 सितम्बर, 2026 को शाम 05:00 बजे** समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एमयूएफजी द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

14. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का हक नहीं होगा।

15. सदस्य 29 सितम्बर , 2026 को दोपहर 12:15 बजे (भा.मा.स.) से यानी निर्धारित प्रारम्भ समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 39वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैंऔर कंपनी निर्धारित प्रारंभ समय के 30 मिनट बाद अर्थात एजीएम की तिथि को दोपहर 01:00 बजे तक वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए विंडो बंद कर सकती है।

रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 39वीं एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए कृपया विस्तृत अनुदेश देखें, जो इस सूचना के साथ संलग्न हैं।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अनुसार वैधानिक रजिस्टर और सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज, इस सूचना के

प्रसारित होने की तिथि से एजीएम की तिथि अर्थात 29 सितम्बर, 2026 तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे equityinvestor2023@ireda.in पर कंपनी को एक ई-मेल भेजें। निरीक्षण तभी किया जाएगा जब यह पारस्परिक रूप से उपयुक्त हो।

17. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी), जिनके पास उनका डीमैट खाता है, के साथ पैन, पिन के साथ पता, ई-मेल, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण और नामांकन अपडेट करें।

18. एजीएम के एजेंडे/कारोबार से संबंधित कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा रखने वाले सदस्य या एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना या प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वे बैठक की तारीख से कम से कम 7 (सात) दिन पहले यानी 22 सितम्बर, 2026 तक अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल संख्या का उल्लेख करते हुए कंपनी के निवेशक ईमेल-आईडी, यानी equityinvestor2023@ireda.in पर कंपनी सचिव को ईमेल भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं। अन्य ईमेल आईडी पर दिए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन सदस्यों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी एजीएम के सुचारु संचालन के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नों की संख्या, वक्ताओं की संख्या और उनके अनुक्रम को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दिया जाएगा जब वे 22 सितम्बर, 2026 तक अर्थात् ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि तक इक्विटी शेयर धारण करना जारी रखेंगे।

19. सदस्यगण सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में 39वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 39वीं एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आएं पहले पाएं के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा-परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आएं पहले पाएं के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के 39वीं एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

20. संवीक्षक वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के समापन के तुरंत बाद, रिमोट ई-वोटिंग/वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और वार्षिक आम बैठक के समापन के 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर, पक्ष में या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों (यदि कोई हो) की एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे बैठक के अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा, जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

21. प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष में या उसके विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या, अमान्य मत और प्रस्ताव को लागू किया गया है या नहीं, को दर्शाते हुए, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ मतदान के परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त, अगर शेयरधारक प्रस्ताव(वों) को मंज़ूरी देते हैं, तो उन्हें 39वीं एजीएम में पारित माना जाएगा।

22. **लाभांश और लाभांश पर टीडीएस कटौती:** आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने एजीएम में सदस्यों की मंज़ूरी के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7.50% की दर से (₹10 के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 0.75) अंतिम लाभांश देने की सिफ़ारिश की है। एजीएम में मंज़ूरी/घोषणा होने पर, मंज़ूरी की तारीख से 30 (तीस) दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर योग्य सदस्यों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा (स्रोत पर कर कटौती के अधीन)। ये वे सदस्य होंगे जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि यानी **शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026** को कामकाज के समय के अंत तक लाभार्थी स्वामी/सदस्य के तौर पर दर्ज होंगे। यह वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले ही घोषित और भुगतान किए गए 6% की दर से (₹10 के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹0.60) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

    सदस्यगण यह भी ध्यान दें कि आय कर अधिनियम, 2025 (अधिनियम) और उससे जुड़े नियमों के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश से होने वाली आय पर शेयरधारक को कर देना होता है। कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय अधिनियम में बताई गई दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) काटना होता है। हालाँकि, अगर कोई शेयरधारक चाहता है कि उसका कर कम दरों पर काटा जाए या आय कर अधिनियम, 2025 के अनुसार कोई कर ना काटा जाए, तो उसे ज़रूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति **11 सितंबर, 2026 तक या उससे पहले** https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-Form-121-41.html पर जमा करनी होगी।

    यह भी सूचित किया जाता है कि 11 सितंबर, 2026 के बाद कर निर्धारित करने/कम दरों पर कर की कटौती के संबंध में किसी भी तरह के संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधूरे दस्तावेज और/या निर्धारित तरीके के अतिरिक्त किसी भी अन्य तरीके से जमा किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

    इसके अतिरिक्त, यह बताना ज़रूरी है कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में हाल ही में हुए बदलावों के अनुसार, लाभांश का भुगतान सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही किया जाएगा। चेक या वारंट जैसे भौतिक साधनों के ज़रिए लाभांश भेजने की व्यवस्था बंद कर दी गई है। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाभांश आसानी से और समय पर मिलने के लिए, अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और उनके बताए गए तरीके के अनुसार अपने डीमैट खाते में बैंक खाते का विवरण रजिस्टर या अपडेट करें। लाभांश पर कराधान से जुड़ी जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in/IredaWebPortal/investors/dividend पर 'इन्वेस्टर्स टैब' के तहत भी उपलब्ध है।

व्याख्यात्मक कथन

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में)

सूचना में उल्लिखित विशेष व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित कथन में बताए गए हैं।

मद संख्या 5

इरेडा एक सरकारी कंपनी है और कंपनी के 'आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन' के आर्टिकल 74 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को प्रशासनिक मंत्रालय, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के ज़रिए कंपनी में निदेशक(कों) नियुक्त करने का अधिकार है। इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, एमएनआरई ने अपनी आदेश संख्या 340/85/2017-इरेडा तारीख 23 जुलाई, 2026 के मार्फ़त श्री जव्वदी वेंकटा नागा सुब्रमण्यम (डीआईएन : 07935156), जो एमएनआरई में संयुक्त सचिव हैं, को निदेशक (सरकार नामित) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 03 (तीन) कार्यात्मक निदेशक के पद भरे जाने तक या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) के लिए थी। इसके बाद, उन्हें निदेशक मंडल ने 24 जुलाई, 2026 से कंपनी के बोर्ड में अपर निदेशक (सरकार नामित) के तौर पर नियुक्त किया, ताकि वे इस एजीएम की तारीख तक पद संभाल सकें।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 ("सेबी (एलओडीआर) विनियम") के विनियम 17(1सी) की शर्त के अनुसार, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या फिर से नियुक्ति के लिए शेयरधारक की मंज़ूरी अगली आम बैठक में ली जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम के सभी लागू प्रावधानों के तहत, कंपनी को श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम से सहमति और ज़रूरी घोषणाएं व वचनबद्धताएँ मिली हैं। मिली घोषणाओं/वचनबद्धताओं के अनुसार, वे अधिनियम की धारा 164 के प्रावधानों के तहत निदेशक के तौर पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं और न ही उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण ने निदेशक के तौर पर नियुक्त होने से रोका है। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, उनकी नियुक्ति के समय कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति मौजूद नहीं थी।

कंपनी को उसके निदेशक के तौर पर नियुक्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार ज़रूरी सूचना मिली है। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें एमएनआरई के 23 जुलाई, 2026 के आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी अन्य आदेश के अनुसार हैं। सरकार नामित निदेशक बोर्ड और समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए बैठने का शुल्क पाने के हकदार नहीं हैं।

उनके संक्षिप्त बायोडेटा में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी विशेष कार्य के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य जानकारी शामिल है। यह जानकारी इस सूचना का हिस्सा है।

श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम को छोड़कर, किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का, उक्त साधारण प्रस्ताव को पारित करने में कोई लेना-देना या हित (चाहे वह आर्थिक हो या कोई और) नहीं है, सिवाय कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी हिस्सेदारी की सीमा तक, यदि कोई हो।

निदेशक मंडल, कंपनी के सदस्यों की मंज़ूरी के लिए सूचना की **मद संख्या 5** में दिए गए प्रस्तावों को साधारण प्रस्ताव के तौर पर पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 6

इरेडा एक सरकारी कंपनी है और इसके संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 74 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को प्रशासनिक मंत्रालय, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के ज़रिए कंपनी में निदेशक(कों) नियुक्त करने का अधिकार है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए, एमएनआरई ने अपने 18 अगस्त, 2026 की आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा-पार्ट(1) के मार्फ़त श्री मनोनीत दलाल को इरेडा के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 18 अगस्त, 2026 से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी। कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री मनोनीत दलाल को 18 अगस्त, 2026 से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए अपर गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के तौर पर नियुक्त किया है, जो इस एजीएम तक पद पर बने रहेंगे।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम, 2015) ["सेबी (एलओडीआर) विनियम"] के विनियम 17(1सी) की शर्त के अनुसार, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या फिर से नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंज़ूरी अगली आम बैठक में ली जाए। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 25(2ए) के अनुसार, किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, फिर से नियुक्ति या उन्हें हटाने का काम विशेष प्रस्ताव के ज़रिए शेयरधारकों की मंज़ूरी पर निर्भर करेगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) और सेबी (एलओडीआर) विनियम के सभी लागू प्रावधानों के तहत, कंपनी को श्री मनोनीत दलाल से सहमति और ज़रूरी घोषणाएं व वचनबद्धताएँ मिली हैं। मिली घोषणाओं/वचनबद्धताओं के अनुसार, वे अधिनियम की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के तौर पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के तौर पर नियुक्त होने से रोके गए हैं। बोर्ड की राय में, श्री मनोनीत दलाल अधिनियम में बताई गई सरकारी कंपनियों पर लागू निदेशक के तौर पर अपनी नियुक्ति की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण उनकी नियुक्ति के समय कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति मौजूद नहीं

थी। कंपनी को उनकी नियुक्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 160 के प्रावधानों के अधीन ज़रूरी सूचना मिली है। श्री मनोनीत दलाल की नियुक्ति के नियम और शर्तें एमएनआरई के 18 अगस्त, 2026 के आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी अन्य आदेश के अनुसार हैं। स्वतंत्र निदेशक अधिनियम के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर बोर्ड द्वारा संस्वीकृत की गई बोर्ड और समिति की बैठक में शामिल होने के लिए बैठक शुल्क पाने के हकदार हैं।

उनके संक्षिप्त बायोडेटा में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी विशेष कार्य के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, कंपनी में शेयरधारिता, अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य जानकारी शामिल है। यह जानकारी इस सूचना का हिस्सा है।

श्री मनोनीत दलाल को छोड़कर, किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का, उक्त साधारण प्रस्ताव को पारित करने में कोई लेना-देना या हित (चाहे वह आर्थिक हो या कोई और) नहीं है, सिवाय कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी हिस्सेदारी की सीमा तक, यदि कोई हो।

निदेशक मंडल, कंपनी के सदस्यों की मंज़ूरी के लिए सूचना की **मद संख्या 6** में दिए गए प्रस्तावों को विशेष प्रस्ताव के तौर पर पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, लागत लेखा-परीक्षक की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा ऐसे पारिश्रमिक पर की जाएगी जिसे शेयरधारक मंज़ूरी दें। कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के तहत, लागत लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करते समय बोर्ड को उन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक को मंज़ूरी देनी होती है और बोर्ड द्वारा मंज़ूर किए गए इस पारिश्रमिक को शेयरधारकों से मंज़ूरी लेनी होती है।

स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण, लेखा-परीक्षक की नियुक्ति के समय लेखा-परीक्षा समिति मौजूद नहीं थी। निदेशक मंडल ने मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या : 000022) को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी का लागत लेखा-परीक्षक नियुक्त किया है। इसके लिए उन्हें ₹62,000 (बासठ हज़ार रुपये) का मेहनताना (कर सहित) दिया जाएगा। सूचना में बताए अनुसार, एक साधारण प्रस्ताव पारित करके शेयरधारकों की मंज़ूरी मांगी जा रही है।

किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का, उक्त प्रस्ताव को पारित करने में कोई लेना-देना या हित (चाहे वह आर्थिक हो या कोई और) नहीं है, सिवाय कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी हिस्सेदारी की सीमा तक, यदि कोई हो।

निदेशक मंडल, कंपनी के सदस्यों की मंज़ूरी के लिए सूचना की **मद संख्या 7** में दिए गए प्रस्ताव को पारित करने की सिफ़ारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02 सितम्बर, 2026

हस्ता. /-
(एकता मदान)
कंपनी सचिव

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 और सचिवीय मानक-2 की शर्तों पर मद संख्या 3, 5 और 6 के अंतर्गत 39वीं एजीएम में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	श्री पदम लाल नेगी	श्री जव्वदी वेंकटा नागा सुब्रमण्यम	श्री मनोनीत दलाल
डीआईएन	10041387	07935156	10059661
जन्म तिथि/आयु	22 नवंबर, 1966 (59 वर्ष)	16 फरवरी, 1980 (46 वर्ष)	17 अगस्त, 1979 (47 वर्ष)
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	07 फरवरी, 2023	24 जुलाई, 2026	18 अगस्त, 2026
योग्यता(एँ)	पंजाब विश्वविद्यालय से आर्ट्स में बैचलर डिग्री और पॉलिटिकल साइंस एवं सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री	भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, सनदी लेखाकार और लागत लेखाकार (पूरे भारत में पहला स्थान)। आपके पास कॉमर्स में बैचलर डिग्री और पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स (एमपीपी) डिग्री है, साथ ही आपको किंग्स कॉलेज लंदन से लीडरशिप में शेवनिंग गुरुकुल फेलोशिप भी प्राप्त है।	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु से एलएल.एम. और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स)।
संक्षिप्त वृत्त	श्री पदम लाल नेगी कंपनी के सरकार नामित निदेशक हैं। आप अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं, साथ ही आपके पास भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार भी है। आपने पंजाब विश्वविद्यालय से आर्ट्स में बैचलर डिग्री और पॉलिटिकल साइंस एवं सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। आपके पास प्रशासन में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग में 1992 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी के रूप में शामिल हुए। इस पद को संभालने से पहले, आपने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्तीय सलाहकार (सीमा सड़क) के रूप में काम किया। आप ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में निदेशक और अंडमान और निकोबार कमांड के एकीकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कई महत्वपूर्ण उत्तरदायीयिं निभाई हैं।	श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम कंपनी के सरकार नामित निदेशक हैं। आप एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं, आपको केंद्र और राज्य सरकारों में नवीकरणीय ऊर्जा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, औद्योगिक और संरचना को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य प्रणालियों और अभिशासन सुधारों के क्षेत्रों में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में आप भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यसूची में योगदान दे रहे हैं। अपनी वर्तमान भूमिका से पहले, आप ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक के रूप में कार्य किया है, जहाँ आप ने फाइनेंशियल मार्केट पॉलिसी और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मामलों को संभाला। आप ने राज्य-स्तर पर भी महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) के उप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; उद्योग आयुक्त; एपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ; राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, असम के मिशन डायरेक्टर और गोआलपाड़ा, असम के उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं।	श्री मनोनीत दलाल कंपनी के गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। आप एक कानूनी और वित्तीय पेशेवर हैं एवं आपके पास कराधान, वित्तीय परामर्श, कानूनी सलाह, लोक प्रशासन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु से एलएल.एम. और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बी.ए., एलएल.बी. (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की है। आप हेक्सा एडवाइजर्स लिमिटेड के निदेशक भी हैं, जो वित्तीय मॉडलिंग, मूल्यांकन और क्रॉस-बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन एडवाइजरी पर केंद्रित एक विशेष सलाहकार फर्म है। इससे पहले आप डेलॉयट हैस्किन्स एंड सेल्स और अर्न्स्ट एंड यंग जैसी कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। आप ने सार्वजनिक नीति अनुसंधान में योगदान दिया है और कराधान तथा अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक कानून पर किताबें और शोध पत्र लिखे हैं।

	इसके अतिरिक्त, आप एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नामित निदेशक हैं।	अपनी वर्तमान भूमिका से पहले, आप ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक के रूप में कार्य किया है, जहाँ आप ने फाइनेंशियल मार्केट पॉलिसी और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मामलों को संभाला। आप ने राज्य-स्तर पर भी महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) के उप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; उद्योग आयुक्त; एपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ; राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, असम के मिशन डायरेक्टर और गोआलपाड़ा, असम के उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं। आपको जन सेवा, नवाचार और अभिशासन में उत्कृष्टता के लिए कई राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय पुरस्कार मिले हैं। साथ ही, भारत सरकार की ओर से सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में बेहतरीन तौर-तरीकों और नवाचार के लिए पुरस्कार; जन सेवा और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए कई मुख्यमंत्री पुरस्कार; और ज़िला-स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए कायाकल्प पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।	
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति	श्री पदम लाल नेगी के पास वित्तीय प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, नेतृत्व और सामाजिक क्षेत्र आदि में 33 वर्षों का अनुभव है।	श्री जे.वी.एन. सुब्रमण्यम के पास लेखांकन, वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र, परियोजना मूल्यांकन, कानूनी सलाहकार, निगमित योजना और रणनीति, सामाजिक सरोकार और नेतृत्व के क्षेत्रों में पेशेवर प्रमाणन/अनुभव के साथ 18 वर्षों की विशेषज्ञता है।	श्री मनोनीत दलाल के पास लेखांकन, वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र डोमेन, परियोजना मूल्यांकन, कानूनी सलाहकार, निगमित योजना और रणनीति, जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व, पर्यावरण संबंधी चिंता, सामाजिक चिंता, बोर्ड कार्यप्रणाली और अभिशासन तथा व्यवसाय विकास के क्षेत्रों में पेशेवर प्रमाणन/अनुभव के साथ 20 वर्षों की विशेषज्ञता है।
निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का प्रकटीकरण	कंपनी के किसी भी अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।	कंपनी के किसी भी अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।	कंपनी के किसी भी अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

अन्य कंपनियों में निदेशक पद	1. एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड 2. एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 3. एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड 4. पवन हंस लिमिटेड 5. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 6. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया	शून्य	हेक्सा एडवाइजर्स लिमिटेड
अन्य संस्थाओं के नाम जिनमें व्यक्ति समितियों का सदस्य/अध्यक्ष है*	निम्नलिखित कंपनियों में लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष : 1. एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड 2. एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 3. एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड 4. पवन हंस लिमिटेड	शून्य	शून्य
सूचीबद्ध निकायों में धारित बोर्ड की समितियों* की सदस्यता और निदेशक पद	इरेडा लिमिटेड: • लेखा-परीक्षा समिति (सदस्य) • पणधारक सम्बन्ध समिति (सदस्य)	इरेडा लिमिटेड • लेखा-परीक्षा समिति (सदस्य)	इरेडा लिमिटेड • लेखा-परीक्षा समिति (अध्यक्ष) • स्टेकधारक सम्बन्ध समिति (अध्यक्ष)
नियुक्ति और दिए गए/दिए जाने वाले पारिश्रमिक के नियम और शर्तें	भारत सरकार के आदेशानुसार	भारत सरकार के आदेशानुसार	भारत सरकार के आदेशानुसार
वित्त वर्ष 26 के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	26	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्त वर्ष 26 के दौरान समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	19	लागू नहीं	लागू नहीं
उन सूचीबद्ध निकायों की जानकारी जहाँ से व्यक्ति ने पिछले तीन सालों में इस्तीफ़ा दिया है	शून्य	शून्य	शून्य
शेयरधारिता	शून्य	शून्य	शून्य

**सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अनुसार, सिर्फ लेखा-परीक्षा समिति और हितधारक सम्बन्ध समिति की सदस्यता को ही ध्यान में रखा गया है।*



07 अगस्त, 2025 को आयोजित इरेडा की 38वीं वार्षिक आम बैठक

शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग अनुदेश

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 26 सितम्बर, 2026 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और सोमवार, 28 सितम्बर, 2026 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम रिकॉर्ड तिथि (विच्छेद तिथि) यानी मंगलवार, 22 सितम्बर, 2026 को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के हकदार हैं। शेयरधारकों के मतदान का अधिकार विच्छेद तिथि 22 सितम्बर, 2026 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी सही ढंग से उल्लेख/अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगइन की पद्धति :

क. एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

पद्धति 1 - एनएसडीएल IDeAS सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

एनएसडीएल IDeAS सुविधा के लिए पंजीकृत शेयरधारक:

क) यूआरएल: https://eservices.nsdl.com पर जाएँ और "IDeAS लॉगइन सेक्शन" के अंतर्गत "बेनेफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें।

ख) IDeAS यूजर आईडी, पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और "लॉगइन" पर क्लिक करें।

ग) सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवा सेक्शन के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें।

घ) "एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

अथवा

शेयरधारक जिन्होंने एनएसडीएल IDeAS सुविधा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है:

क) पंजीकरण करने के लिए, यूआरएल: https://eservices.nsdl.com पर जाएँ और "IDeAS पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण" सेलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें

ख) 8-कैरेक्टर का डीपी आईडी, 8-अंकों का क्लाइंट आईडी, मोबाइल संख्या और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और "सब्मिट" पर क्लिक करें।

ग) अपने बैंक खाते के आखिरी 4 अंक दर्ज करें/ 'ओटीपी' जेनरेट करें।

घ) सफल पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।

ङ) उपर्युक्त पॉइंट्स (क-घ) में दिए गए क़दमों का अनुसरण करें।

Shareholders/ Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.

Google Play App Store

पद्धति 2 - व्यक्तिगत शेयरधारक सीधे एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं

क) यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com पर जाएँ

ख) 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगइन" टैब पर क्लिक करें।

ग) उपयोगकर्ता आईडी (यानी, एनएसडीएल के पास धारित आपका 16 अंकों वाला डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करें एवं "लॉगइन" पर क्लिक करें।

घ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें।

ङ) "एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

पद्धति 3 - एनएसडीएल ओटीपी आधारित लॉगइन

क) यूआरएल: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर जाएं।

ख) अपना 8-कैरेक्टर वाला डीपी आईडी, 8-अंकों वाला क्लाइंट आईडी, पैन और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और ओटीपी जनरेट करें।

ग) अपने पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल संख्या पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगइन पर क्लिक करें।

घ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें।

ङ) "एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

ख. सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

पद्धति 1 – सीडीएसएल Easi/Easiest सुविधा के साथ पंजीकृत व्यक्तिगत शेयरधारक
शेयरधारक जिन्होंने सीडीएसएल Easi/Easiest सुविधा के लिए पंजीकरण/विकल्प लिया है :

क) यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login या www.cdslindia.com. पर जाएं।

ख) "लॉगइन" पर क्लिक करें तथा "My Easi New (टोकन) सेलेक्ट करें।

ग) मौजूदा यूजर नेम, पासवर्ड दर्ज करें तथा "लॉगइन" पर क्लिक करें।

घ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा। ई-वोटिंग विकल्प में ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं यानी एमयूएफजी इनटाइम के लिंक होंगे।

ङ) "एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

अथवा

शेयरधारक जिन्होंने सीडीएसएल इजी/ईजीएस्ट सुविधा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है:

क) पंजीकरण के लिए, यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiRegistration, https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiestRegistration पर जाएँ।

ख) आवश्यक क्षेत्र अपडेट करके आगे बढ़ें।

ग) पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को पंजीकृत ईमेल आईडी पर यूजर नेम और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।

घ) उपर्युक्त पॉइंट्स (क-ग) में दिए गए क़दमों का अनुसरण करें।

पद्धति 2 - व्यक्तिगत शेयरधारक सीधे सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं

क) यूआरएल: https://www.cdslindia.com पर जाएं।

ख) ई-वोटिंग टैब पर जाएँ।

ग) 16-अंकों वाला डीमैट खाता संख्या (बीओ आईडी) और पैन संख्या दर्ज करें और "सबमिट" पर क्लिक करें।

घ) सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज किए गए पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा।

ङ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा। ई-वोटिंग विकल्प में ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं यानी एमयूएफजी इनटाइम के लिंक होंगे।

च) "एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

निक्षेपागार सहभागी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

व्यक्तिगत शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगइन कर सकते हैं :

क) डीपी वेबसाइट पर लॉग इन करें।

ख) सफलतापूर्वक लॉग इन के बाद, उपयोगकर्ता "ई-वोटिंग" विकल्प के माध्यम से नेविगेट करेगा।

ग) ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को एनएसडीएल/ सीडीएसएल निक्षेपागार वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा, जहाँ उपयोगकर्ता ई-वोटिंग सुविधा देख सकता है।

घ) सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद,"एमयूएफजी इनटाइम" या "कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित ईवोटिंग लिंक" पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगइन पद्धति :

ई-वोटिंग के लिए विच्छेदक तिथि पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक इंस्टावोट पर निम्नानुसार पंजीकरण कर तथा वोट डाल सकते हैं :

जिन शेयरधारकों ने इंस्टावोट सुविधा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है:

क) यूआरएल: https://instavote.linkintime.co.in पर जाएं।

ख) 'शेयर होल्डर' टैब के अंतर्गत **"साइन अप"** पर क्लिक करें और अपने निम्नलिखित विवरणों के साथ पंजीकरण करें:

अ. यूजर आईडी:

एनएसडीएल डीमैट खाता - यूजर आईडी 8 वर्णों की डीपी आईडी है जिसके बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी है।

सीडीएसएल डीमैट खाता - यूजर आईडी 16 अंकों की लाभार्थी आईडी है।

ब. पैन:

अपना 10 अंकों का स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करें।

(शेयरधारक जिन्होंने निक्षेपागार सहभागी (डीपी)/कंपनी के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, वे आपको प्रदान की गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करेंगे, यदि लागू हो।

स. डीओबी/डीओआई:

जन्म तिथि (डीओबी)/निगमन तिथि (डीओआई) दर्ज करें (जैसा कि दिन/महीना/वर्ष प्रारूप में आपके डीपी/कंपनी के साथ दर्ज है)

द. बैंक खाता संख्या :

अपना बैंक खाता संख्या (अंतिम चार अंक) दर्ज करें, जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के साथ दर्ज है।*

*एनएसडीएल प्रपत्र में शेयर रखने वाले शेयरधारक, उपर्युक्त 'पॉइंट द' प्रदान करेंगे

सीडीएसएल प्रपत्र में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को ऊपर दिया गया 'पॉइंट स' या 'पॉइंट द' प्रदान करना होगा।

ग) अपनी पसंद का पासवर्ड सेट करें।

(पासवर्ड में कम से कम 8 वर्ण होने चाहिए, जिसमें से कम से कम एक विशेष वर्ण (!#$&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक वर्णमाला और कम से कम एक बड़ा अक्षर)।

घ) इमेज वेरिफिकेशन (कैप्चा) कोड दर्ज करें।

ङ) "सबमिट" पर क्लिक करें (आप अब इंस्टावोट पर पंजीकृत हो चुके हैं)।

शेयरधारक जिन्होंने इंस्टावोट सुविधा के लिए पंजीकरण किया है:

क) यूआरएल: https://instavote.linkintime.co.in पर जाएं।

ख) 'शेयर होल्डर' टैब के तहत **"लॉगइन"** पर क्लिक करें।

- यूजर आईडी : अपना यूजर आईडी दर्ज करें
- पासवर्ड: अपना पासवर्ड दर्ज करें
- इमेज वेरिफिकेशन (कैप्चा) कोड दर्ज करें
- "सबमिट" पर क्लिक करें

(ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा। "प्रस्ताव के लिए वोट डालने के चरण" के तहत दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करें।)

ग) अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डालें:

- सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण एवं इंस्टावोट इनबॉक्स पेज में पुनःनिर्देशित होने के बाद, आप "ई-वोटिंग के लिए अधिसूचना" देख पाएंगे।

- 'व्यू' आइकन सेलेक्ट करें। ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा।
- संकल्प विवरण देखें और अपना इच्छित विकल्प 'पक्ष/विपक्ष' चुनकर अपना वोट डालें (यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'व्यू रेज़ोलुशन' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें)।
- इच्छित विकल्प यानी पक्ष/विपक्ष चुनने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें।
- एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'यस' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, 'नो' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।

एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपना वोट डाल देंगे, तो बाद में आपको उसमें कोई बदलाव या संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

संस्थागत शेयरधारकों के लिए दिशानिर्देश ("कस्टोडियन / निगमित निकाय / म्यूचुअल फंड")

चरण 1 – कस्टोडियन/निगमित निकाय/म्यूचुअल फंड पंजीकरण

क) यूआरएल: https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ तथा इंस्टावोट लॉगइन क्रेडेंशियल के साथ लॉगइन करें।

ख) "कस्टोडियन/निगमित निकाय/म्यूचुअल फंड" के अंतर्गत "साइन अप" पर क्लिक करें।

ग) अपनी इकाई का विवरण भरें और फ़ॉर्म जमा करें।

घ) एक घोषणा फॉर्म और संगठन आईडी तैयार की जाती है और प्राथमिक संपर्क व्यक्ति की ईमेल आईडी (जो साइन अप के समय भरी जाती है) पर भेजी जाती है। उक्त फ़ॉर्म पर इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक/कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और मुहर लगा होना चाहिए तथा insta.vote@linkintime.co.in पर भेजा जाना चाहिए।

ङ) इसके बाद, लॉगइन क्रेडेंशियल (यूजर आईडी; संगठन आईडी; पासवर्ड) प्राथमिक संपर्क व्यक्ति की ईमेल आईडी पर भेजे जाते हैं (आप अब इंस्टावोट पर पंजीकृत हो गए हैं)।

चरण 2 – निवेशक मानचित्रण

क) यूआरएल: https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ और इंस्टावोट लॉगइन क्रेडेंशियल के साथ लॉगइन करें।

ख) मेनू सेक्शन के अंतर्गत "इन्वेस्टर मैपिंग" टैब पर क्लिक करें।

ग) निम्नलिखित विवरण के साथ निवेशक का मानचित्रण :

- 'निवेशक आईडी' –
  - i. एनएसडीएल डीमैट खाता – यूजर आईडी 8 अक्षरों की डीपी आईडी है जिसके बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है, यानी IN00000012345678
  - ii. सीडीएसएल डीमैट खाता – यूजर आईडी 16 अंकों की लाभार्थी आईडी है।
- निवेशक का नाम – डीपी के साथ अपडेट किए गए अनुसार निवेशक का नाम दर्ज करें।
- 'निवेशक पैन' – अपना 10 अंकों का पैन दर्ज करें।
- 'पावर ऑफ अटॉर्नी' – बोर्ड का प्रस्ताव या पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें।*

*बोर्ड के प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए फ़ाइल का नाम –डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी होगा। इसके अतिरिक्त, कस्टोडियन और म्यूचुअल फंड भी नमूना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

घ) सबमिट बटन पर क्लिक करें। (निवेशक का अब कस्टोडियन/निगमित निकाय/म्यूचुअल फंड इकाई के साथ मानचित्रण किया गया है)। इसे "रिपोर्ट सेक्शन" के अंतर्गत देखा जा सकता है।

चरण 3 - इंस्टावोट के ज़रिए प्रस्ताव पर वोट करने के चरण

निगमित शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, निम्नलिखित पद्धति में से किसी भी पद्धति से मतदान कर सकते हैं :

पद्धति 1 - वोट प्रविष्टि

क) यूआरएल: https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ और इंस्टावोट लॉगइन क्रेडेंशियल के साथ लॉगइन करें।

ख) मेनू अनुभाग के अंतर्गत "वोट एंट्री" टैब पर क्लिक करें।

ग) "ईवेंट नंबर" दर्ज करें जिसके लिए आप वोट डालना चाहते हैं।

इवेंट संख्या को इंस्टावोट के होम पेज पर "ऑन-गोइंग इवेंट्स" के अंतर्गत देखा जा सकता है।

घ) "16-अंकों वाला डीमैट खाता संख्या" दर्ज करें ।

ङ) संकल्प विवरण देखें और अपना इच्छित विकल्प 'पक्ष/विरुद्ध' चुनकर अपना वोट डालें (यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'व्यू रेज़ोलुशन' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें)।

च) इच्छित विकल्प यानी पक्ष/विरुद्ध चुनने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें।

एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'यस' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, 'नो' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।

अथवा

पद्धति 2 - वोट अपलोड करें

क) यूआरएल: https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ और इंस्टावोट लॉगइन क्रेडेंशियल के साथ लॉगइन करें।

ख) सफलतापूर्वक लॉगइन के बाद, आप "नोटिफिकेशन फॉर ई-वोटिंग" देख पाएंगे।

ग) "कंपनी का नाम/ईवेंट नंबर" के लिए "व्यू" आइकन सेलेक्ट करें।

घ) ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा।

ङ) "डाउनलोड सैंपल वोट फ़ाइल" टैब से सैंपल वोट फ़ाइल डाउनलोड करें।

च) सैंपल वोट फ़ाइल में अपना पसंदीदा विकल्प 'पक्ष/विपक्ष' चुनकर अपना वोट डालें और "अपलोड वोट फ़ाइल" विकल्प के तहत उसे अपलोड करें।

छ) 'सबमिट' पर क्लिक करें। 'डेटा सफलतापूर्वक अपलोड हो गया' संदेश प्रदर्शित होगा।

(एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपना वोट डाल देते हैं, तो आपको बाद में इसे संशोधित या बदलने की अनुमति नहीं होगी)।

हेल्पडेस्क :

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक :

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वे enotices@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर इंस्टावोट हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या दूरभाष : 022 – 4918 6000 पर संपर्क कर सकते हैं।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक :

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक निक्षेपागार यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क का विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या निःशुल्क संख्या 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

पासवर्ड भूल गए

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक:

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक अपना यूजर आईडी [लॉगइन आईडी] या पासवर्ड या दोनों भूल गए हैं, तो शेयरधारक https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध "फॉरगॉट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

- 'शेयर होल्डर' टैब के अंतर्गत **"लॉगइन"** पर क्लिक करें।
- **"फॉरगॉट पासवर्ड?"** पर क्लिक करें
- यूजर आईडी दर्ज करें, मोड चुनें और इमेज वेरिफिकेशन कोड (कैप्चा) दर्ज करें।
- "सबमिट" पर क्लिक करें।

यदि शेयरधारकों के पास वैध ईमेल पता है, तो पासवर्ड उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा। शेयरधारक सुरक्षा प्रश्न और उत्तर, पैन, डीओबी/डीओआई, बैंक खाता संख्या (अंतिम चार अंक) आदि के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करके अपनी पसंद का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, जिसमें से कम से कम एक विशेष अक्षर (!#$&), कम से कम एक अंक, कम से कम एक वर्णमाला और कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए।*

एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक पासवर्ड भूल गए हैं

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक यूजर आईडी [लॉगइन आईडी] या पासवर्ड या दोनों भूल गए हैं, तो शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर उल्लिखित निक्षेपागार/निक्षेपागार सहभागियों की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

- ❖ यह कठोर रूप से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

- ❖ मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक/सदस्य किसी विशेष "इवेंट" के लिए संकल्प(पों) पर मतदान करने तक वे कितनी भी बार लॉगइन कर सकते हैं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के अनुदेश

निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22.09.2025 के अनुसार, कंपनियाँ मौजूदा प्रक्रियागत ज़रूरतों के अनुसार वीसी या ओएवीएम के ज़रिए एजीएम आयोजित करना जारी रख सकती हैं। ये छूट अगले आदेश तक लागू रहेंगी।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे इंस्टामीट सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करें।

इंस्टामीट के जरिए आम बैठक में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए लॉगइन पद्धति :

क) यूआरएल: https://instameet.in.mpms.mufg.com पर जाएँऔर "लॉगइन" पर क्लिक करें।

ख) "कंपनी का नाम" सेलेक्ट करें और अपने निम्नलिखित विवरणों के साथ पंजीकरण करें :

ग) चेकबॉक्स - डीमैट अकाउंट संख्या / फोलियो संख्या / पैन सेलेक्ट करें।

- एनएसडीएल/सीडीएसएल डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारक चेक बॉक्स - डीमैट खाता संख्या सेलेक्ट करेंगे और 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या प्रदान करेंगे।
- शेयरधारक को चेक बॉक्स -पैन सेलेक्ट करना होगा और 10-अंकों का स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करना होगा। जिन शेयरधारकों ने निक्षेपागार सहभागियों (डीपी) या कंपनी के पास अपना पैन अपडेट नहीं किया है, उन्हें एमयूएफजी इनटाइम द्वारा दिए गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करना होगा (अगर लागू हो)।
- मोबाइल संख्या : डीपी के साथ अपडेट किया गया मोबाइल संख्या स्वचालित रूप से प्रदर्शित होता है। जिन शेयरधारकों ने डीपी के साथ अपना मोबाइल संख्या अपडेट नहीं किया है, वे मोबाइल संख्या दर्ज करेंगे।
- ईमेल आईडी : डीपी के साथ अपडेट किया गया ईमेल आईडी स्वचालित रूप से प्रदर्शित होता है। जिन शेयरधारकों ने डीपी के साथ अपना ईमेल आईडी अपडेट नहीं किया है, वे ईमेल आईडी दर्ज करेंगे।

घ) "गो टू मीटिंग" पर क्लिक करें

अब आप इंस्टामीट के लिए पंजीकृत हैं, और आपकी उपस्थिति मीटिंग के लिए चिह्नित की गई है।

इंस्टामीट के माध्यम से आम बैठक के दौरान शेयरधारकों के बोलने के लिए अनुदेश :

क) जो शेयरधारक बैठक के दौरान बोलना चाहते हैं, उन्हें कंपनी के साथ अपना अनुरोध अवश्य पंजीकृत करवाना होगा।

ख) शेयरधारकों को कंपनी द्वारा किए गए प्रावधान के आधार पर पुष्टि मिलेगी।

ग) शेयरधारकों को बैठक के लिए उपस्थिति दर्ज करने के बाद "स्पीकिंग सीरियल नंबर" प्राप्त होगा। कृपया स्पीकिंग सीरियल संख्या याद रखें और अपने डिवाइस के वीडियो मोड और ऑडियो को चालू करके पैनलिस्ट के साथ अपनी बातचीत शुरू करें।

घ) अन्य शेयरधारक जिन्होंने "स्पीकर शेयरहोल्डर" के रूप में पंजीकरण नहीं किया है, वे अभी भी बैठक के दौरान सक्रिय चैट-बोर्ड के माध्यम से पैनलिस्ट से प्रश्न पूछ सकते हैं।

**शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे तभी बोलें जब बैठक/प्रबंधन के मॉडरेटर बोलने के लिए नाम और सीरियल संख्या की घोषणा करेंगे।*

इंस्टामीट के जरिए आम बैठक के दौरान वोट डालने हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश :

बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सक्रिय होने के बाद, जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे निम्नानुसार वोट डाल सकते हैं:

क) शेयरधारक वीसी पेज पर, "कास्ट योर वोट" लिंक पर क्लिक करें।

ख) इंस्टामीट के लिए पंजीकरण के दौरान प्राप्त अपना 16 अंकों का डीमैट खाता नंबर/फोलियो संख्या और ओटीपी (पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर प्राप्त) दर्ज करें।

ग) 'सबमिट' पर क्लिक करें।

घ) सफलतापूर्वक लॉगइन के बाद, आपको "रेज़ोलुशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसी के तहत वोटिंग के लिए "पक्ष/विपक्ष" विकल्प दिखाई देगा।

ङ) अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विकल्प यानी "पक्ष/विपक्ष" का चयन करके अपना वोट डालें। 'पक्ष/विपक्ष' के अंतर्गत विच्छेद तिथि पर शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाती है) दर्ज करें।

च) अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विकल्प यानी पक्ष/विपक्ष का चयन करने के बाद और आपने वोट देने का फैसला कर लिया है, तो "सेव" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "कन्फर्म" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "बैक" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें। एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको बाद में अपना वोट संशोधित या बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोट:

शेयरधारक/सदस्य, जो इंस्टामीट सुविधा के माध्यम से आम बैठक में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट डालने के पात्र होंगे।

शेयरधारक/सदस्य जिन्होंने आम बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है, वे इंस्टामीट के माध्यम से आम बैठक में उपस्थित होने/भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे बैठक के दौरान फिर से वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।

शेयरधारकों/सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए ब्रॉडबैंड से जुड़े हुए टैबलेट/लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

शेयरधारकों/सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए अच्छी गति (अधिमानतः 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्ट्रीम) के साथ इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक है।

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप के माध्यम से शेयरधारक/सदस्य अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/विज़ुअल हानि का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की उपर्युक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

हेल्पडेस्क :

लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक instameet@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर इंस्टामीट हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या दूरभाष : 022 – 4918 6000 / 4918 6175 पर संपर्क कर सकते हैं।

जानकारी एक नज़र में

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरे
1	एजीएम की तारीख	मंगलवार, 29 सितम्बर, 2026 दोपहर 12.00 बजे (भा.मा.स.)
2	आयोजन की पद्धति	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज़ुअल साधनों ("ओएवीएम")
3	एजीएम की सूचना भेजने हेतु कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026
4	अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि	शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2026
5	रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारण की कट-ऑफ तिथि	मंगलवार, 22 सितम्बर, 2026
6	ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख एवं समय	शनिवार, 26 सितम्बर, 2026 सुबह 09.00 बजे
7	ई-वोटिंग समाप्त होने की तारीख एवं समय	सोमवार, 28 सितम्बर, 2026 अपराह्न 05.00 बजे
8	अंतिम लाभांश के भुगतान की तारीख	घोषणा के 30 (तीस) दिनों के अंदर
9	केवाईसी विवरण का अद्यतन	अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपनी केवाईसी का विवरण (जैसे कि पैन, बैंक का विवरण, फ़ोन नंबर, ई-मेल आईडी,आदि) अपडेट करवाएं और आपके डीपी द्वारा यथोचित प्रमाणित अपडेट की गई क्लाइंट मास्टर लिस्ट ("सीएमएल") की स्व-अभिप्रमाणित प्रति ईमेल के ज़रिए हमारे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर भेजें। केवाईसी जानकारी अपडेट करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपको कंपनी की ओर से समय-समय पर जारी सभी सूचनाएं/जानकारी और लाभांश भुगतान (अगर कोई हो) मिलते रहें।
10	टीडीएस छूट फ़ॉर्म शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को या उससे पहले https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-Form-121-41.html पर जमा करना होगा।	

****